मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 25 जून, 1990 (आषाढ़ 4, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, शहडोल जिले के विरुहली निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ललित जैन, डा. सीताशरन शर्मा, विश्वेश्वर भगत, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में कृषकों को बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(क) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, जिला बिलासपुर तहसील–कोटा के चांपी नाला जलाशय परियोजना अन्तर्गत खेतिहर भूमि का उचित दर मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में सरपंच एवं 56 कृषकों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(ख) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य, जिला रायगढ़ के मध्यम सिंचाई डायवर्सन माण्ड परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के संबंध में 35 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(ग) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य—

(1) ग्राम धौराभाटा विकास खण्ड –बालोद, जिला–दुर्ग को अन्यत्र हटाकर नया गांव बसाने तथा वहां कृषि और आबादी के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में 37 व्यक्तियों की,

(2) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम जुंगेरा में सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप खनन कराने के संबंध में 17 व्यक्तियों की, तथा

(3) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम जुंगेरा में सांस्कृतिक भवन निर्माण कराने के संबंध में 17 व्यक्तियों की

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. उद्योगों को राज्य सहायता समिति के लिए पांच सदस्यों का निर्वाचन

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें स्टेट एड्स टू इन्डस्ट्रीज एक्ट, 1958 की धारा (1) की अपेक्षानुसार स्टेट एड्स टू इन्डस्ट्रीज के लिए गठित होने वाली समिति के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से 5 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

5. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा के लिए राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

6. वर्ष 1990-91 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 23 जून, 1990